

भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4232
दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 को उत्तर के लिए

आंगनवाड़ी योजना

4232. श्री तालारी रंगैय्या:

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने वर्तमान आंगनवाड़ी योजना के अतिरिक्त कोई पोषण योजना भी प्रारंभ की है;
- (ख) यदि हां, तो पोषण योजना को क्रियान्वित करने हेतु अपनाए गए तंत्र क्या हैं;
- (ग) क्या पोषण योजना कुपोषण से संबंधित क्रियान्वित की गई विगत सभी ऐसी योजनाओं का स्थान लेगी; और
- (घ) क्या सरकार ने पोषण योजना को क्रियान्वित करने वाली नोडल एजेंसी की जवाबदेही निर्धारित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) से (घ) : देश में कुपोषण की समस्या का समाधान करने के लिए सरकार कुल 9046 करोड़ रूपए के बजट के साथ दिनांक 18.12.2017 से पोषण अभियान (पूर्ववर्ती राष्ट्रीय पोषण मिशन) को क्रियान्वित कर रही है। अभियान में सभी 37 राज्यों/संघ राज्य को शामिल किया गया है। पोषण अभियान का लक्ष्य नीचे दिए गए नियत लक्ष्यों के साथ 3 वर्ष की अवधि के दौरान समयबद्ध ढंग से 0-6 वर्ष की आयु वाले बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की पोषणात्मक स्थिति में सुधार हासिल करना है :

क्र.सं.	उद्देश्य	लक्ष्य
1	बच्चों (0-6 वर्ष) में ठिगनेपन का निवारण एवं उसमें कमी लाना	2% प्रतिवर्ष की दर से 6 % तक
2	बच्चों (0-6 वर्ष) में अल्प-पोषण (अल्प वजन की व्याप्तता) का निवारण एवं उसमें कमी लाना	2% प्रतिवर्ष की दर से 6 % तक
3	छोटे बच्चों (6-59 माह) में रक्ताल्पता की व्याप्तता में कमी लाना	3% प्रतिवर्ष की दर से 9 % तक
4	15-49 वर्ष के आयु वर्ग की महिलाओं एवं किशोरियों में रक्ताल्पता की व्याप्तता में कमी लाना	3% प्रतिवर्ष की दर से 9 % तक
5	जन्म के समय अल्प वजन (एलबीडब्ल्यू) में कमी लाना	2% प्रतिवर्ष की दर से 6 % तक

अभियान का लक्ष्य, जीवनचक्र अप्रोच के ज़रिए तालमेल और परिणामोन्मुख दृष्टिकोण अपनाकर देश में चरणबद्ध ढंग से कुपोषण को कम करना है। इस अभियान के तहत की जाने वाली प्रमुख गतिविधियों में विभिन्न अन्य कार्यक्रमों के साथ अभिसरण; लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहित करना; सेवाप्रदायगी और हस्तक्षेपों को सुदृढ़ करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी समर्थ कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर; राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय पोषण संसाधन केन्द्र (एनएनआरसी) और प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में राज्य पोषण संसाधन केन्द्र (एसएनआरसी) स्थापित करना; व्यवहार परिवर्तन संचार, जागरूकता एडवोकेसी तथा सूचना शिक्षा संचार, पोषण पहलुओं के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए जन आंदोलन निमित्त सामुदायिक जुटाव एवं जागरूकता एडवोकेसी; नवोन्मेष, मानव संसाधन का सुदृढीकरण, ठिगनेपन, अल्पवजन और अवरूढ़ विकास का शीघ्र पता लगाने के लिए छह वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की ऊंचाई तथा वजन मापना, अग्रणी कार्यकर्ताओं का क्षमता निर्माण, आदि शामिल हैं। पोषण अभियान और आंगनवाड़ी सेवाएं स्कीम परस्पर पूरक स्कीमें हैं और ये परस्पर एक-दूसरे की सहायता करती हैं।

भारत की पोषण चुनौतियों के लिए नीति निदेश, समीक्षा और मंत्रालयों के मध्य प्रभावी समन्वयन तथा अभिसरण के लिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया है। पोषण अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों/स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए निदेश, नीति और मार्गदर्शन हेतु सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति गठित की गई है। पोषण अभियान को राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय पोषण संसाधन केन्द्र (एनएनआरसी) और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर राज्य पोषण संसाधन केन्द्र (एसएनआरसी) के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है। नीति आयोग पोषण अभियान की स्थिति को नजदीकी से मॉनिटर करता है।
